शीर्ष प्राथमिकता
संख्या– 303/15-02-2023

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
उ0प्र0।
2. **शिक्षा निदेशक माध्यमिक,**
उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. **महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,**
उ0प्र0, लखनऊ।
4. **समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/ समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,**
उ0प्र0।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–02 **लखनऊः दिनांकः** 25 **जुलाई, 2023**

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त निर्माण (वृहत/लघु) कार्यों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ पैनल गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे समस्त निर्माण (वृहद/लघु) कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु मण्डलवार विशिष्ट संस्थानों जैसे–आई0आई0टी0, आई0आई0आई0टी0 एवं इंजीनियरिंग कालेज आदि जैसी संस्थाओं से करायी जाय जिससे कि प्रायोजनाओं/निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। थर्ड पार्टी निरीक्षण निम्नवत् प्रकार से कराया जायेगा।

2– थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु मण्डलवार विशिष्ट/प्रतिष्ठित संस्थाओं की सेवा ली जायेगी। इस हेतु निम्नलिखित संस्थानों की सेवायें प्राप्त की जा सकती है :–

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी
3. मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज
4. जाकिर हुसैन कालेज ऑफ इंजीनियरिग एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
5. हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर नगर
6. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ (घटक महाविद्यालय डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ)
7. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
8. सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रूड़की, उत्तराखण्ड
9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, उत्तराखण्ड

3– भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु आबद्ध संस्थानों के अतिरिक्त राज्य के अधीन अन्य ऐसे संस्थानों को आबद्ध किया जायेगा जो प्रतिष्ठित हो और जहां तकनीकी परीक्षण अवस्थापनायें उपलब्ध हों।

4– थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु आबद्ध संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार की सिविल परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे ईट, सीमेण्ट, कंक्रीट, प्लास्टर, चिनाई सामग्री, बिटूमिन, गिट्टी इत्यादि की सैम्पलिंग की जायेगी तथा उसको विशिष्ट प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षित करके रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उपयोग होने वाली सामग्री मानकों के अनुसार है, अथवा नहीं।

5– कियान्वित होने वाली परियोजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण सुनिश्चित कराने का मूल दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने जनपदों में कियान्वित होने वाली परियोजनाओं हेतु पैनल में से संस्था को सुविधानुसार आबद्ध करते हुए उनसे संपर्क करके निर्माण के दौरान ही अनिवार्य रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करायेंगे।

6– जिन योजनाओं में इकाई लागत रू0 10 लाख से अधिक होगी उनमें सभी इकाइयों को निरीक्षण हेतु चिन्हित किया जायेगा। 10 लाख रूपये से कम की इकाई लागत वाली योजनाओं में सुविधानुसार जिलाधिकारी रैण्डम आधार पर कतिपय इकाईयों को चिन्हित कर विस्तृत थर्ड पार्टी निरीक्षण करायेंगे।

7– निरीक्षण आख्या आबद्ध संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

8– तकनीकी आख्या प्राप्त होने में अगर यह पाया जाता है कि प्रयुक्त होने वाली सामग्री मानकों से खराब है तो यह कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि वे मानकों के खराब कार्य को ठीक करवायें व उपयुक्त सामग्री से पुनर्निर्माण सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त संलिप्त ठेकेदार, अभियन्ता तथा शिथिलता बरतने वाले पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाये।

9– सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करवायें तथा खराब गुणवत्ता के गम्भीर प्रकरणों को शासन के संज्ञान में भी लायें, जिससे कि उच्च स्तर पर अवगत कराते हुए दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

10– सामान्यतः प्रतिष्ठित परीक्षण करवाने वाली संस्थायें जिन्हें थर्ड पार्टी परीक्षण हेतु आबद्ध किया जायेगा, को इस कार्य हेतु शुल्क देय होगा। कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना के अन्तर्गत कन्टीजेन्सी के माध्यम से धनराशि दी जाती है। अतः कार्यदायी संस्था का यह दायित्व होगा कि परियोजना धनराशि में प्राप्त कन्टीजेन्सी में से यह शुल्क सम्बन्धित संस्थान को उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि वे परीक्षण सुनिश्चित करा सकें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, वाराणसी,
2. निदेशक/प्रधानाचार्य मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद,
3. निदेशक/प्रधानाचार्य, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर,
4. निदेशक/प्रधानाचार्य, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की,
5. निदेशक/प्रधानाचार्य सेंण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
6. कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़,
7. निदेशक/प्रधानाचार्य हारकोट बटलर तकनीकीन संस्थान (एच0बी0टी0आई0), कानपुर,
8. निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम, उ0प्र0, श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0,
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन,
10. निजी सचिव, मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उ0प्र0 शासन,
11. समस्त अनुभाग अधिकारी, मा0शि0 विभाग,
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या– 303/15–02–2023

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
उ0प्र0।
2. **शिक्षा निदेशक माध्यमिक,**
उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. **महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,**
उ0प्र0, लखनऊ।
4. **समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,**
उ0प्र0।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–02 **लखनऊः दिनांकः 25 जुलाई, 2023**

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त निर्माण (वृहत/लघु) कार्यों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ पैनल गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे समस्त निर्माण (वृहद/लघु) कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु मण्डलवार विशिष्ट संस्थानों जैसे–आई0आई0टी0, आई0आई0आई0टी0 एवं इंजीनियरिंग कालेज आदि जैसी संस्थाओं से करायी जाय जिससे कि प्रायोजनाओं/निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। थर्ड पार्टी निरीक्षण निम्नवत् प्रकार से कराया जायेगा।

2– थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु मण्डलवार विशिष्ट/प्रतिष्ठित संस्थाओं की सेवा ली जायेगी। इस हेतु निम्नलिखित संस्थानों की सेवायें प्राप्त की जा सकती है :–

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी
3. मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज
4. जाकिर हुसैन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
5. हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर नगर
6. इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ (घटक महाविद्यालय डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ)
7. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
8. सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रूडकी, उत्तराखण्ड
9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, उत्तराखण्ड

3– भविष्य में आवश्यकता पड़ती है तो थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु आबद्ध संस्थानों के अतिरिक्त राज्य के अधीन अन्य ऐसे संस्थानों को आबद्ध किया जायेगा जो प्रतिष्ठित हो और जहां तकनीकी परीक्षण अवस्थापनायें उपलब्ध हों।

4– थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु आबद्ध संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार की सविल परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे ईंट, सीमेण्ट, कंक्रीट, प्लास्टर, चिनाई सामग्री, बिटूमिन, गिट्टी इत्यादि की सैम्पलिंग की जायेगी तथा उसको विशिष्ट प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षित करके रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उपयोग होने वाली सामग्री मानकों के अनुसार है, अथवा नहीं।

5– कियान्वित होने वाली परियोजनाओं का थर्ड पार्टी निरीक्षण सुनिश्चित कराने का मूल दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने जनपदों में कियान्वित होने वाली परियोजनाओं हेतु पैनल में से संस्था को सुविधानुसार आबद्ध करते हुए उनसे संपर्क करके निर्माण के दौरान ही अनिवार्य रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करायेंगे।

G.O

6– जिन योजनाओं में इकाई लागत रू0 10 लाख से अधिक होगी उनमें सभी इकाइयों को निरीक्षण हेतु चिन्हित किया जायेगा। 10 लाख रूपये से कम की इकाई लागत वाली योजनाओं में सुविधानुसार जिलाधिकारी रैण्डम आधार पर कतिपय इकाईयों को चिन्हित कर विस्तृत थर्ड पार्टी निरीक्षण करायेंगे।

7– निरीक्षण आख्या आबद्ध संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

8– तकनीकी आख्या प्राप्त होने में अगर यह पाया जाता है कि प्रयुक्त होने वाली सामग्री मानकों से खराब है तो यह कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि वे मानकों के खराब कार्य को ठीक करवायें व उपयुक्त सामग्री से पुनर्निर्माण सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त संलिप्त ठेकेदार, अभियन्ता तथा शिथिलता बरतने वाले पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाये।

9– सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वे सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करवायें तथा खराब गुणवत्ता के गम्भीर प्रकरणों को शासन के संज्ञान में भी लायें, जिससे कि उच्च स्तर पर अवगत कराते हुए दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

10– सामान्यतः प्रतिष्ठित परीक्षण करवाने वाली संस्थायें जिन्हें थर्ड पार्टी परीक्षण हेतु आबद्ध किया जायेगा, को इस कार्य हेतु शुल्क देय होगा। कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना के अन्तर्गत कन्टीजेन्सी के माध्यम से धनराशि दी जाती है। अतः कार्यदायी संस्था का यह दायित्व होगा कि परियोजना धनराशि में प्राप्त कन्टीजेन्सी में से यह शुल्क सम्बन्धित संस्थान को उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि वे परीक्षण सुनिश्चित करा सकें।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, वाराणसी,
2. निदेशक/प्रधानाचार्य मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद,
3. निदेशक/प्रधानाचार्य, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर,
4. निदेशक/प्रधानाचार्य, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की,
5. निदेशक/प्रधानाचार्य सेंण्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्‌यूट,
6. कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़,
7. निदेशक/प्रधानाचार्य हारकोट बटलर तकनीकीन संस्थान (एच0बी0टी0आई0), कानपुर,
8. निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड0डी0एस0, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम, उ0प्र0, श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0,
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन,
10. निजी सचिव, मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उ0प्र0 शासन,
11. समस्त अनुभाग अधिकारी, मा0शि0 विभाग,
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

2